राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– बिरकाली

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 199 सन 2018

अनवान :–

1. रघुवीर पुत्र स्व मोतीसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. मान्ता कंवर पत्नी स्व मोतीसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. सुमन कंवर पुत्री स्व मोतीसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर
3. कमला कवंर पत्नि स्व रतनसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर
4. रविन्द्रसिह पुत्र स्व रतनसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर
5. प्रियंका पुत्री स्व रतनसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर
6. शेरसिह पुत्र राजूकवंर पुत्री मोतीसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर
7. पूजा कंवर पुत्री राजूकंवर पुत्री मोतीसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. रेनु कंवर पुत्री राजूकंवर पुत्री मोतीसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 11.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 9/6 के खसरा न0 323 की 10.1170हैक , खसरा न0 359/1 की 6.2980हैक कुल 16.4150हैक व खाता संख्या 262/400 के खसरा न0 96/4.0480हैक , 441/5 की 3. 2890हैक , 495/98 की 1.5180हैक कुल 8.8550हैक भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजों मोतीराम आदि के नाम से दर्ज थी। मोतीराम पुत्र बृजलालसिह का देहान्त हो गया जिसका एक पुत्र रतनसिह व पुत्री राजूकवंर का भी देहान्त हो गया रतनसिह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 , राजूकवंर के वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 है इसप्रकार वाद भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 हकदार हुए तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 व 5 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ,4 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ,4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने लोक भावना से प्रेरित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का हक हिस्सा है जिसमें से प्रतिवादी संख्या 1, 2 , 5 ता 8 ने अपने हकों का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ,4 के पक्ष में त्याग कर दिया है वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ,4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन मे परिवारिक राजीनामा पेश किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि पूर्व में मोतीसिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के वाद उसकी तीन पुत्रों/पुत्रीयों पर औद हुई मोतीसिह के पुत्र रतनसिह एवं पुत्री राजूकंवर का देहान्त हो गया है वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 , राजूकवंर के वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 है जो मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र से साबित है। अर्थात वाद भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जायज हकदार है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,5 ता 8 ने अपने हकों का त्याग कर दिया है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,5 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर परिवारिक राजीनामा पेश कर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ,4 के हक की भूमि होना जाहिर कर उनके नाम से उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज करने का निवेदन किया।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 , 5 ता 8 ने अपना हक त्याग किया गया है राज्य हकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 9/6 की कुल 16.4150हैक्‍ भूमि मे सयुक्त खाते में मोतीसिह के नाम से दर्ज है में वादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 262/400 की 8.8550हैक्‍ भूमि में वादी अकेला 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है मोतीसिह का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/- अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो यथावत रहेगा। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–बिरकाली

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट-बिरकाली

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. रघुवीर पुत्र स्व मोतीसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 मान्ता कंवर पत्नी स्व मोतीसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. सुमन कंवर पुत्री स्व मोतीसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर
3. कमला कवर पत्नि स्व रतनसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर
4. रविन्द्रसिह पुत्र स्व रतनसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर
5. प्रियंका पुत्री स्व रतनसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर
6. शेरसिह पुत्र राजूकवर पुत्री मोतीसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर
7. पूजा कंवर पुत्री राजूकंवर पुत्री मोतीसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. रेनु कंवर पुत्री राजूकंवर पुत्री मोतीसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 199 सन 2018 निर्णय दिनांक-11.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 9/6 की कुल 16.4150हैक भूमि में सयुक्त खाते में मोतीसिह के नाम से दर्ज है में वादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 262/400 की 8.8550हैक भूमि में वादी अकेला 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है मोतीसिह का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/- अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो यथावत रहेगा। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट-बिरकाली